



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
18 संस्थागत क्षेत्र / 18 Institutional Area,
शहीदजीत सिंह मार्ग /Shaheedjeet Singh Marg
नई दिल्ली /New Delhi – 110016
दूरभाष /Telephone: 011-26858570
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.11-E-3056(9)/1/2025-Estt-III

दिनांक:16.07.2025

ज्ञापन / MEMORANDUM

विषय: वर्ष 2025 के लिए वरिष्ठ सचिवालय सहायक से सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति – मुख्य पैनल / **Departmental promotion from the post of Senior Secretariat Assistant to the post of Assistant Section Officer for the year 2025 – Main Panel.**

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ सचिवालय सहायक (SSA) को सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लेवल 06 में मुख्य पैनल (Main Panel) के तहत पदोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विभागीय पदोन्नति पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए कॉलम 06 में उल्लेखित केन्द्रीय विद्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय में उन्हें पदस्थ किया गया है। उन्हें इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के लिए बिना-शर्त अपनी स्वीकृति (Unconditional Acceptance) को इस कार्यालय को दिनांक 23.07.2025 तक उचित माध्यम से मेल आई.डी. sectionofficere3@gmail.com पर प्रेषित करें एवं दिनांक 31.07.2025 तक कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जाएगा और भविष्य में इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। साथ ही केविस (मु.) के पत्र संख्या 6-6/1999/केविस (मुख्यालय) /आरपीएस दिनांक 04.09.2008 के अनुसार दिनांक 01.08.2025 से उन्हें 01 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा एवं उनकी वरिष्ठता में परिवर्तन होगा।

पदोन्नत कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरांत, उन्हें के.वि.सं. नियमों के अनुसार सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के पद पर स्थायी किया जाएगा।

पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई / सतर्कता जांच व अन्य दंडात्मक प्रक्रिया लागू अथवा विचारधीन नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई विचाराधीन है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए व इस संबंध में के.वि.सं. (मुख्यालय) को तत्काल सूचित किया जाए।

MAIN PANEL –UR FOR THE YEAR 2025

S. NO.	SEN. NO. OF SSA	EMP. CODE	NAME OF THE EMPLOYEE	PRESENT PLACE OF POSTING	ALLOTTED PLACE OF POSTING AS ASO
1	2	3	4	5	6
1.	124	12542	SOLANKI JAYESHKUMAR JAYANTILAL	KV AFS DARJEEPURA-2194	KV NO.2 EME BARODA (1008)
2.	126	41674	SUDHIR KUMAR	KV MEG & CENTRE (1050)	KV MEG & CENTRE BENGALURU (1050)
3.	135	31068	AVADH BIHARI MISHRA	KV NO.3 JHANSI (1730)	KV NO.3 JHANSI CANTT. (1730)
4.	136	34390	GHARU RAM	KV SAMBA (1695)	R O JAMMU (1912)
5.	144	38907	SEEMA GUPTA	KV NO.1 COLABA (1211)	KV KOLIWADA (1216)
6.	145	2201	LAXMI SHARAN	KV AMC LUCKNOW (1740)	R O LUCKNOW (1913)
7.	146	1743	SURYA PRAKASH	KV LUCKNOW CANTT. (1745)	R O LUCKNOW (1913)
8.	147	40897	BHARAT JI SHUKLA	KV NAINI (1711)	KV DLW VARANASI (1851)
9.	148	3293	RAVI KANT UPADHYAY	KV CRPF ALLAHABAD (2185)	KV AMHAT SULTANPUR (1715)
10.	149	26294	DINESH KUMAR TIWARI	KV MADHUPURI FATEHPUR (2428)	KV NO.2 ARMAPUR KANPUR (1734)
11.	152	1719	RAMESH CHANDRA PANDEY	KV SGPGI LUCKNOW (1743)	R O LUCKNOW (1913)

12.	153	6783	SANTOSH KR. MISHRA	KV VSN NAGPUR (1123)	KV VSN NAGPUR (1123)
13.	173	32275	KISHORE SINGH	KV NO. 4 JAIPUR (1615)	R O JAIPUR (1911)
14.	174	22815	GAJENDER SINGH RAJAWAT	KV NO.1 DELHI CANTT. (1409)	R O GURUGRAM (2274)
15.	176	42754	RAJESH KR. DUBEY	KV SURAJPUR (2389)	KV KNN GHAZIABAD SHIFT-I (1452)
16.	181	47441	GIRIRAJ VYAS	KV NO.3 NAL (AFS) BIKANER (1607)	KV NO.1 AFS JODHPUR (1624)
17.	188	48993	EASH KR. MEHTANI	KV NFC VIGYAN VIHAR (SHIFT-2) (1429)	R O GURUGRAM (2274)
18.	195	10711	SUJEET KUMAR	KV NTPC RIHAND NAGAR (1845)	KV DANAPUR CANTT. SHIFT I (1840)
19.	197	41374	VISHWANATH CHOUDHARY	KV PANAGARH (1282)	KV CRPF DURGAPUR (1249)
20.	199	3292	PRAMOD KR. TRIPATHI	KV RAKSHA VIHAR KANPUR (1739)	KV OEF KANPUR (1738)
21.	209	42804	MANPHOOL SINGH	KV PUSHP VIHAR (1436)	KV ANDREWS GANJ SHIFT I (1404)
22.	212	25890	KAMAL KANT ARORA	KV PRAGATI VIHAR (1435)	KV VIKASPURI SHIFT II (1451)
23.	219	25435	RAKESH KR. ARORA	KV GOLE MARKET (1417)	KV GOLE MARKET SHIFT II (1417)
24.	222	23915	NEENA KAUL	KV GOLE MARKET (1417)	KV MASJID MOTH SHIFT I (1427)
25.	226	40315	KAVITA SHARMA	KV ALIGANJ LUCKNOW (1744)	KV NO.1 AFS CHAKERI KANPUR (1735)
26.	227	2280	KAMINI SRIVASTAVA	KV RAEBARELI (SHIFT-II) (1754)	KV UNNAO (1757)
27.	352	11159	RANA MADHU SINGH PH (HH)	KV JEHANABAD (1810)	R O PATNA (1915)
28.	886	9230	RAJEEV NARANG PH (HH)	KV SEC. 22 ROHINI (1444)	KVS HQ (1917)

MAIN PANEL –SC FOR THE YEAR 2025

S. NO.	SEN. NO. OF SSA	EMP. CODE	NAME OF THE EMPLOYEE	PRESENT PLACE OF POSTING	ALLOTTED PLACE OF POSTING AS ASO
1	2	3	4	5	6
1.	236	35716	BHASKAR DAS	KV BIRBHUM (2086)	KV SANTRAGACHI (1274)
2.	240	31802	R P LAKHIWAL	KV CURAJ BANDARSINDRI (2292)	KV NO.2 AFS JODHPUR (1626)
3.	243	33686	GHARU RAM	KV RAHYA SUCHANI (2334)	KV NO.1 GANDHI NAGAR (1676)
4.	256	16154	MAHENDRA SINGH NIRANKARI	KV RO BHOPAL (1901)	KV NO.2 BHOPAL (1093)
5.	258	33219	PHOOL CHAND LODHWAL	KV NO. 1 JAIPUR (1612)	R O JAIPUR (1911)

MAIN PANEL –ST FOR THE YEAR 2025

S. NO.	SEN. NO. OF SSA	EMP. CODE	NAME OF THE EMPLOYEE	PRESENT PLACE OF POSTING	ALLOTTED PLACE OF POSTING AS ASO
1	2	3	4	5	6
1.	695	50304	GEETA RAUT	KV NO.1 CHHINDWARA (1549)	KV WCL BARKUHI (1098)
2.	716	50315	LAXMI GOND	KV NO. 1 JRC CANTT BAREILLY (1352)	KV ASC BAREILLY (1351)
3.	815	51958	TAPAN ROY	KV OF DUMDUM (1268)	KV BALLYGUNGE (1266)
4.	851	78246	SUPRIYA TIGGA	KV AFS BAWANA (1407)	KVS HQ (1917)
5.	855	79738	AJAY KUMAR MEENA	KV DHOLPUR (2353)	KV NASIRABAD (1594)
6.	859	80496	JACKIE COLLINS MARNGAR	KV EAC UPPER SHILLONG (1494)	KV EAC UPPER SHILLONG (1494)

7.	861	77854	VIKAS MEENA	KV MANDYA (2300)	R O BENGALURU (1900)
8.	890	53067	RAGHUNATH TUDU	KV BURDWAN (1244)	R O KOLKATA (1904)

1. संबन्धित कर्मचारी की केवल बीमारी/प्रसूति संबंधी कारणों के अलावा किसी भी अन्य कारण के आधार पर पद ग्रहण करने की उक्त दी गई अंतिम तिथि में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी, तथापि, बीमारी/प्रसूति से संबन्धित चिकित्सा प्रमाण पत्र, शासकीय अस्पताल/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अस्पताल/सैनिक अस्पताल/कमान अस्पताल, जैसा भी प्रकरण हो, के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सिविल सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। संबन्धित कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी ऐसी कोई भी प्रार्थना, यदि हो तो, के.वि.सं.(मु.) को उचित माध्यम से मेल आई.डी. sectionofficere3@gmail.com पर दिनांक 23.07.2025 तक प्राप्त हो जानी चाहिए।
2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, दी गई पदस्थापना के स्थान में परिवर्तन/संशोधन से संबंधित किसी भी आवेदन/प्रतिवेदन पर (उक्त बिन्दु क्र.1 के अलावा), किसी भी परिस्थिति में कोई भी विचार नहीं जाएगा व दी गई समयावधि के पश्चात पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वतः ही निरस्त माना जाएगा तथा भविष्य में इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

विभागीय पदोन्नति पर यह पदस्थापना सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।


(सौरभ जेटली)

सहायक आयुक्त (स्थापना-2/3)

वितरण:

1. संबन्धित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि, वे अपनी पदोन्नति पर पदस्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृत करने संबंधी लिखित स्वीकृति-पत्र (बिना-शर्त) दिनांक 23.07.2025 तक प्रेषित कर दिनांक 31.07.2025 तक कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा इस ज्ञापन का उपरोक्त बिन्दु 2 लागू माना जाएगा तथा भविष्य में उनकी पदोन्नति पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।
2. संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय/ संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.5) जहां से कर्मचारी कार्यमुक्त हो रहा के प्राचार्य/ उपायुक्त को इस निवेदन के साथ कि :
 - i. वे उनके कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले, पदस्थापित विद्यालय/संभागीय कार्यालय / मुख्यालय (कॉलम क्र.6) जहां कर्मचारी पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने जा रहा है वहाँ पर सहायक अनुभाग अधिकारी पद की रिक्ति है या नहीं यह सुनिश्चित कर लें, तत्पश्चात उस कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। यदि उस पद की रिक्ति नहीं है तो, इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें।
 - ii. संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय/संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.5) जहां से कर्मचारी कार्यमुक्त हो रहा है/ कार्यभार ग्रहण (कॉलम क्र. 6) कर रहा है, से संबंधित कर्मचारी की कार्यभार मुक्ति / कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के.वि.सं. (मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से मेल आई.डी. sectionofficere3@gmail.com पर) प्रेषित करें।
 - iii. वे कर्मचारी की कार्यभार मुक्ति से पहले पुनः ये सुनिश्चित कर लें कि संबन्धित कर्मचारी की सभी योग्यता सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के पद हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार है या नहीं, विसंगति होने पर इसकी सूचना सूचना को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) के.वि.सं.(मु.) को प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें।
 - iv. संबन्धित कर्मचारी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबन्धित पदोन्नति पर पदस्थापित हो रहा है तो संबन्धित जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन भी कर लें। कोई भी विसंगति होने पर इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें।
 - v. पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई / सतर्कता जांच व अन्य दंडात्मक प्रक्रिया लागू अथवा विचारधीन नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई विचाराधीन है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए। व इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें।
3. संबन्धित संभागीय कार्यालय के वित्त अधिकारी, सूचनार्थ।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कार्मिक), के.वि.सं.(मु.) सूचनार्थ।
5. सहायक आयुक्त, (आई.टी सेल), के.वि.सं.(मु.) को इस निवेदन के साथ वे इस ज्ञापन को के.वि.सं.(मु.) की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।